



दि खामगाँव अर्बन को-ऑप.बैंक लि., खामगाँव.
(मल्टीस्टेट शेड्युल्ड बैंक) रजि.नं. MSCS/CR/107/2000
प्रधान कार्यालय :- धनवर्धिनी, श्रीराम शालीग्राम प्लॉट्स, खामगाँव.
ता. खामगाँव जि. बुलडाणा (महाराष्ट्र) - ४४४ ३०३

६३ वी वार्षिक आम बैठक
सदस्योंको आम बैठक की सूचना

दि खामगाँव अर्बन को-ऑप.बैंक लिमिटेड, खामगाँव बैंक की ६३ वी वार्षिक आम बैठक दि. १८/०८/२०२६ मंगलवार को दोपहर ठिक ०३.०० बजे देशमुख मंगल कार्यालय, सिव्हील लाईन्स, खामगाँव, ता. खामगाँव, जि. बुलडाणा (महाराष्ट्र) यहाँ आयोजित की गई है। तथापि, यह अनुरोध किया जाता है की सदस्योंने बैठक में समयपर उपस्थित रहे।

बैठक की कार्य सूची

- १) दिनांक ३०/०७/२०२५ को आयोजित ६२ वी वार्षिक आम बैठक के कार्यावृत्त को पढ़कर उसे कायम करना।
- २) मा. संचालक मंडल द्वारा प्रस्तुत किया दि. ३१/०३/२०२६ के अंतःका वार्षिक रिपोर्ट, बैलेंस शीट, लाभ और हानी विवरण को स्वीकृत करना।
- ३) मा. संचालक मंडल के सुझाव के अनुसार वर्ष २०२५-२६ के लिये लाभ के बटवारे को मंजुरी देना, तथा लाभांश घोषित करना।
- ४) मा. संचालक मंडल द्वारा शिफारस किया हुआ वर्ष २०२६-२७ के अनुमान पत्रक को मंजुरी देना।
- ५) मा. संचालक मंडल द्वारा तय की गयी व्यवसाय योजना (Business Plan) को मंजुरी देना।
- ६) मा. सांविधिक लेखा परिक्षक के २०२५-२६ वर्ष के रिपोर्ट की दखल लेना और दोष दुरुस्ती रिपोर्ट संमत करना।
- ७) वर्ष २०२६-२७ इस वित्तीय वर्ष के लिए मा. सांविधिक लेखा परिक्षक की नियुक्ती संबंधी का प्रस्ताव भारतीय रिज़र्व बैंक को मंजूरत हेतु भेजा गया है। इस कामके बाद की मंजुरी देना और उनका पारिश्रमिक तय करना।
- ८) वसुली के अधिकार को बनाए रखते हुए मा. सांविधिक लेखा परिक्षको द्वारा प्रमाणित संदिग्ध और खराब ऋण खातों को बट्टे खाते में डालना।
- ९) दि मल्टीस्टेट को-ऑप. सोसायटी अधिनियम २००२ की धारा ३९ (३) के अनुसार अहवाल वर्ष में मा. संचालक और उनके रिश्तेदारों को दिये गये ऋणों और उनके बकाया के बारे में वित्तीय वर्ष २०२५-२६ कि जानकारी लेना।
- १०) विद्यमान मा. संचालक इनके रिश्तेदार को बैंक के सेवामें कर्मचारी है तो उनकी जानकारी लेना।
- ११) वित्तीय वर्ष २०२५-२६ में पुर्नलिखित किये ऋणों के बारे में जानकारी लेना।
- १२) वित्तीय वर्ष २०२६-२७ में बाहरसे जूटाई जानेवाली धनराशी की सीमा निर्धारित करना।
- १३) मा. संचालक मंडल द्वारा बैंक के उपविधी (Bye-laws) में सुझाव किये गये दुरुस्ती कों मंजुरी देना।
- १४) ६३ वी वार्षिक आम बैठक में शामिल ना होने वाले सदस्योंकी अनुपस्थिती क्षमापित करना और उसे मंजुरी देना।
- १५) मा. अध्यक्ष की अनुमतीसे समय पर आने वाले विषय पर विचार करना।

पंजीकृत कार्यालय

दि खामगाँव अर्बन को-ऑप.बैंक लि., खामगाँव.
श्रीराम शालीग्राम प्लॉट्स, खामगाँव.
ता. खामगाँव जि. बुलडाणा - ४४४ ३०३
दि. ३१/०७/२०२६

मा. संचालक मंडल के आदेशसे

ज्ञानेश्वर भी. जाधव
मुख्य कार्यकारी अधिकारी

सदस्योंके लिए महत्व पूर्ण सूचना:

- १) दोपहर ०३ बजे तक कोरम के अभाव में बैठक स्थगित की जाएगी और स्थगित की गई बैठक उसी जगह उसी दिन दोपहर ०३.३० बजे होगी। इस बैठक को कोरम की और अलग सूचना की आवश्यकता नहीं होगी।
- २) बैंक के बैलेंस शीट, लाभ - हानि विवरण के संबंध में कोई सुझाव देना हो तो कृपया दि. १०/०८/२०२६ तक लिखित रूपमें बैंक के प्रधान कार्यालय में दे सकते हैं।
- ३) ३१ मार्च २०२५ इस वर्ष का लाभांश आपके बैंक खाते में जमा कर दिया गया है। लाभांश की राशी जमा की गई है यह सुनिश्चित करें। जीन सदस्योंका बैंक में बचत खाता नहीं है, वे उसे तुरंत निकटम: शाखा में खाता खोलकर खाते में लाभांश राशी जमा करने के लिए उस शाखा के शाखा प्रबंधक को आवेदन प्रस्तुत करें।
- ४) यदि सदस्य का नाम, पता या उत्तराधिकारी में कोई परिवर्तन है तो सदस्यों को इसे प्रधान कार्यालय के शेयर विभाग में या अपनी निकटम शाखा के माध्यमसे पंजीकृत करना चाहिए।
- ५) वार्षिक रिपोर्ट बैंक की वेबसाईट (www.khamgaonurban.bank.in) पर भी उपलब्ध होगी।